न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–61/2018 (2018/00150) वादपत्र

अनवान

1. जगदीश चन्द्र पिता कजोड़ जाट निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नरेश पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गौतम पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसदेवी बेवा मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जेठमल पिता सोहनलाल कोठारी निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5–कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मनीष दाधीच – **अधिवक्ता वादी**
2. हरिश टेलर – **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

मुकदमा नम्बरः– 86/18 (2018/00213) वाद पत्र.

अनवान

1–कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. जगदीशचन्द्रपिता कजोड़ जाट निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरेश पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गौतम पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारसदेवी बेवा मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जेठमल पिता सोहनलाल कोठारी निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – **अधिवक्ता वादीया**
2. रामेश्वरलाल – **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 22.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 61/2018 में वादी जगदीश चन्द्र पिता कजोड़मल जाट के द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 840 रकबा 0.27 है0 भूमि में अपना हिस्सा अलग करने का वाद पेश गया था जिसमें प्रतिवादी 1 से 4 बावजुद समन उपस्थित नही होने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण में दिनांक 11.12.2019 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 840 रकबा 0.27 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 है0 भूमि में वादी का 3/8 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया इसी दौरान अधिवक्ता हरिश टेलर की ओर से इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी जेठमल द्वारा प्रार्थीया को 1/8 हिस्सा विक्रय किया गया है जिससे प्रार्थीया खातेदार बन चुकी है। और इसी आराजियात बाबत् विभाजन वाद का वाद न्यायालय श्रीमान् में पेश कर रखा है जिसके प्रकरण 86/18 होकर अनवान श्री कंकु बनाम जगदीश वगैरा है। दोनो ही प्रकरणो में पक्षकार समान होकर वाद विषय वस्तु एक ही है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में पारित एकतरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 11.12.2019 को अपास्त कर प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दिनांक 16.09.2020 को स्वीकार करते हुए प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बधित एक वाद 86/2018 को इस पत्रावली के साथ समेकित किया गया ओर इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है व दोनो प्रकरणो में पक्षकार बंटवारा चाह रहे है आराजियात का विभाजन प्रस्ताव आ चुका है जिसको पुनः तहसीलदार रायपुर के पास भेजकर जेठमल के द्वारा अपना हिस्सा कंकुदेवी को विक्रय किया गया जिसके द्वारा धारा 53 का वाद 86/2018 विचाराधीन है जिसको इस प्रकरण के साथ समेकित किया गया है जिसमें वादीया कंकुदेवी का फर्द बंटवाड़ा तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया।

इसकी पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी एव प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रस्ताव का अवलोकन कराया गया जिस पर वादी जगदीशचन्द्र के अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है अधिवक्ता द्वारा आपत्ति में मुख्य बिन्दु यह उठाया कि वादी जगदीश को आराजी नम्बर 840/2 में 0.08 है0 भूमि देना प्रस्तावित किया है तथा मौके पर दक्षिण तरफ नरेश, गौतम वगैरा का कब्जा है लेकिन प्रस्तुत प्रस्ताव में कंकुदेवी को आगे के भाग से महत्वपूर्ण व किमती हिस्सा दिला दिया जबकि किमती आगे का भाग व पिछे का भाग बराबर देना चाहिये वादी को भूमि कम दिलाई गई वादी जगदीश को सहखातेदार नरेश, गौतम के पास भूमि देनी चाहिये जो नही देकर कंकुदेवी को दी गई है कंकुदेवी का हिस्सा उत्तर की ओर देना चाहिये। इस आपत्ति पर कंकुदेवी वादीया के अधिवक्ता हरिश टेलर द्वारा आपत्ति के बहस में निवेदन किया कि मूल खातेदार जेठमल से सबसे पहले जमीन वादीया कंकुदेवी गाडरी के द्वारा खरीदी गई किन्तु सम्पूर्ण राशि मे से कुछ राशि बकाया होने से बकाया राशि भुगतान के बाद रजिस्ट्री करायी जबकि मौके पर कब्जा पहले से ही सहखातेदार नरेश गौतम से लगता हुआ उत्तर की ओर कब्जा दिया गया जिस पर वादीया काबिज है। वादी जगदीशचन्द्र के द्वारा खातेदार जेठमल से भूमि कंकुदेवी के बाद खरीदी गई है जो कंकुदेवी से उत्तर की ओर का भाग खरीदा गया और कंकुदेवी की रजिस्ट्री में पड़ौस भी लिखे हुए

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

है। इस पर जगदीश के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कहा कि यह गलत है नरेश, गौतम के पास वादी जगदीश चन्द्र का हिस्सा है चाहे मूल खातेदार जेठमल से जानकारी ली जा सकती है।

दोनो अधिवक्ताओ की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा मूल खातेदार जेठमल से दुरभाष से जानकारी ली गई और पुछा गया कि आपके द्वारा सबसे पहले किसको विक्रय की गई और कब्जा कहा दिया गया। इस पर मूल खातेदार विपक्षी जेठमल के द्वारा अवगत कराया कि मेरे द्वारा मेरी संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 840 मे से 1/8 हिस्से की भूमि पहले वादीया कुंकदेवी गाडरी को विक्रय कर लिखापढ़ी की गई थी और मौके पर श्री नरेश, गौतम से उत्तर की ओर लगती हुई भूमि का कब्जा दिया गया ओर वादीया काबिज हो गई किन्तु कुछ राशि बकाया होने से रजिस्ट्री बाद में करायी गई वादीया कंकु को कब्जा देने के बाद वादी जगदीश को शेष 3/8 हिस्सा विक्रय कर कब्जा दिया गया जो कंकुदेवी से उत्तर की ओर है। इस वार्ता से न्यायालय में उपस्थित दोनो अधिवक्ता एवं वादी जगदीश को अवगत कराया गया जिस पर दोनो अधिवक्ताओ द्वारा पत्रावली पर इसी अनुसार बंटवाड़ा कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

मैने पंत्रावली का अवलोकन किया दोनो प्रकरण संख्या 61/18 एवं 86/18 में वाद वर्णित आराजियात में समान पक्षकार होकर समान अराजियात है जिसका विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद प्रकरण संख्या 61/18 एवं 86/18 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 246 की प्रस्तावित आराजी संख्या 840/2 रकबा 0.08 है0, भूमि जगदीशचन्द्र पिता कजोड़मल सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 840/3 रकबा 0.0350 है0, भूमि कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 840/4 रकबा 0.1250 है0, भूमि नरेश, गौमत पिता मदनलाल पारसदेवी बेवा मदनलाल सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 840/1 रकबा 0.03 है0, भूमि नरेश, गौतम पिता मदनलाल, पारसदेवी बेवा मदनलाल 1/3 जगदीशचन्द्र पिता कजोड़ 2/3 सा. देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे उक्त शामलाती छोड़ी गई भूमि रास्ते की रहेगी। इसी अनुसार डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.10.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—61 / 2018 (2018 / 00150) वादपत्र

अनवान

1. जगदीश चन्द्र पिता कजोड़ जाट निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नरेश पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गौतम पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसदेवी बेवा मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जेठमल पिता सोहनलाल कोठारी निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मनीष दाधीच — अधिवक्ता वादी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः— 86 / 18 (2018 / 00213) वाद पत्र.

अनवान

1—कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. जगदीशचन्द्रपिता कजोड़ जाट निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरेश पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गौतम पिता मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारसदेवी बेवा मदनलाल महाजन निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जेठमल पिता सोहनलाल कोठारी निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीया
2. रामेश्वरलाल — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—61/2018 (2018/00150) वादपत्र
मुकदमा नम्बरः— 86/18 (2018/00213) वाद पत्र

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद प्रकरण संख्या 61/18 एवं 86/18 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 246 की प्रस्तावित आराजी संख्या 840/2 रकबा 0.08 है0, भूमि जगदीशचन्द्र पिता कजोड़मल सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 840/3 रकबा 0.0350 है0, भूमि कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 840/4 रकबा 0.1250 है0, भूमि नरेश, गौमत पिता मदनलाल पारसदेवी बेवा मदनलाल सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 840/1 रकबा 0.03 है0, भूमि नरेश, गौतम पिता मदनलाल, पारसदेवी बेवा मदनलाल 1/3 जगदीशचन्द्र पिता कजोड़ 2/3 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.10.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.10.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाडा),

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested